



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



23 वैशाख, 1946 (श०)

संख्या - 261 राँची, सोमवार,

13 मई, 2024 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

13 मार्च, 2024

संख्या-16/प्र०सु०-02-01/2020 का.- 2006-

विषय : संकल्प संख्या-8598 दिनांक 29.09.2015 के द्वारा विभिन्न विभागों में उच्च कुशलता प्राप्त प्रोफेशनल को संविदा के आधार पर 03 वर्षों के लिए नियोजित किये जाने एवं तत्पश्चात् 02 वर्षों के लिए अवधि विस्तारित किये जाने तथा विभागीय संकल्प संख्या - 2750, दिनांक- 28.04.2022 एवं विभागीय संकल्प (शुद्धि पत्र) संख्या- 2963, दिनांक- 09.05.2022 में निहित प्रावधान के आलोक में 02 अतिरिक्त वर्षों (भूतलक्षी प्रभाव सहित) के अवधि विस्तार के पश्चात् 02 अतिरिक्त वर्षों (3+2+2= 7 वर्ष के अतिरिक्त) के लिए संविदा अवधि (भूतलक्षी प्रभाव सहित) विस्तारित करने का प्रावधान करने के सम्बन्ध में ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या-8598 दिनांक 29.09.2015 के आलोक में विभिन्न विभागों में उच्च कुशलता प्राप्त प्रोफेशनल को संविदा के आधार पर नियोजित करने की कार्रवाई की गयी थी। उक्त के क्रम में श्री प्रदीप कुमार हजारी को संविदा के आधार पर तीन वर्षों के लिए निम्नवत् नियुक्त किया गया था:-

विभाग का नाम	सलाहकार के रूप में नियोजित होने वाले अभ्यर्थी का नाम	नियोजन की तिथि	संविदा समाप्त होने की तिथि ।
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची ।	श्री प्रदीप कुमार हजारी	09.02.2017	08.02.2020

2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग संकल्प संख्या-8598 दिनांक 29.09.2015 की कंडिका- 6(iv) में प्रावधानित है कि 'चयनित सलाहकार को प्रथमतः 03 वर्षों के लिए नियोजित किया जायेगा, यदि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय चयन समिति के द्वारा मूल्यांकनोपरान्त इसकी आवश्यकता सम्पुष्ट होती है तो संविदा 02 वर्षों के लिए पुनः विस्तारित की जा सकेगी। उक्त के आलोक में कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड द्वारा श्री प्रदीप कुमार हजारी की संविदा अवधि को विस्तारित करने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया ।

3. दिनांक 20.01.2020 को मुख्य सचिव, झारखण्ड की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति के द्वारा विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन पर सम्यक् विचारोपरान्त श्री प्रदीप कुमार हजारी की संविदा अवधि को अगले 02 वर्षों के लिए विस्तारित करने की अनुशंसा की गयी, जिसके आलोक में कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड द्वारा इनकी सलाहकार के रूप में संविदा अवधि को आगामी 02 वर्षों के लिए अर्थात् 08.02.2022 तक के लिए विस्तारित की गयी ।

4. संविदा अवधि समाप्त होने पश्चात् श्री प्रदीप कुमार हजारी विभागीय सलाहकार-सह-विशेष सचिव की संविदा अवधि 02 वर्षों के लिए विस्तारित करने का पुनः अनुरोध कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा किया गया ।

5. उक्त के क्रम में विभागीय संकल्प संख्या-8598, दिनांक- 29.05.2015 में 03 वर्षों के लिए नियोजित किये जाने एवं 02 वर्षों के लिए अवधि विस्तारित किये जाने के उपरान्त पुनः संविदा अवधि के विस्तार की व्यवस्था नहीं होने के कारण विभागीय संकल्प संख्या-2750, दिनांक-28.04.2022 एवं इस क्रम में निर्गत विभागीय संकल्प (शुद्धि पत्र) संख्या-2963, दिनांक- 09.05.2022 के द्वारा मंत्रिपरिषद के माध्यम से निम्न निर्णय लिये गये:-

"03 वर्षों के लिए नियोजित किये जाने एवं 02 वर्षों के लिए अवधि विस्तारित किये जाने के उपरान्त भी अगले 02 वर्षों के लिए पुनः संविदा को विस्तार (भूतलक्षी प्रभाव सहित) करने की आवश्यकता महसूस होती है तो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति अवधि के विस्तार हेतु अनुशंसा गठित करेगी। तदुपरान्त उसपर सरकार द्वारा निर्णय लिया जायेगा।"

6. उक्त के आलोक में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्चस्तरीय समिति की अनुशंसा पर कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग), झारखण्ड, राँची के कार्यालय आदेश संख्या- 1522, दिनांक - 20.06.2022 के द्वारा श्री हजारी की संविदा अवधि दिनांक- 09.02.2022 के प्रभाव से अगले अतिरिक्त 02 (दो) वर्षों तक के लिए अर्थात् दिनांक - 08.02.2024 तक विस्तारित की गयी।

7. दिनांक-08.02.2024 को श्री हजारी की संविदा अवधि समाप्त हो जाने की स्थिति को दृष्टिपथ में रखते हुए कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची के द्वारा श्री हजारी के शैक्षणिक एवं पेशेवर कार्यकुशलता से लाभान्वित होने तथा योजनाओं के अनुश्रवण एवं सतत् क्रियान्वयन हेतु उनकी आवश्यकता का उल्लेख करते हुए उनकी संविदा अवधि को अगले 02 वर्षों के लिए भूतलक्षी प्रभाव के साथ विस्तारित करने का अनुरोध किया गया।

8. विभागीय संकल्प (शुद्धि पत्र) संख्या- 2963, दिनांक- 09.05.2022, विभागीय संकल्प संख्या-2750, दिनांक- 28.04.2022 एवं विभागीय संकल्प संख्या- 8598, दिनांक- 29.09.2015 में 3+2+2=7 वर्षों की संविदा अवधि के पश्चात् उच्च कुशलता प्राप्त प्रोफेशनलों की संविदा अवधि विस्तार का कोई प्रावधान नहीं होने के कारण कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची की आवश्यकता एवं अनुशंसा के आलोक में विषयांकित मामले को मंत्रिपरिषद के समक्ष रखे जाने की आवश्यकता महसूस की गयी।

9. तदनुसार मंत्रिपरिषद की दिनांक 06.03.2024 को सम्पन्न बैठक में मद संख्या- 28 के द्वारा निम्न प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गयी है:-

"03 वर्षों के लिए नियोजित किये जाने एवं 02-02 वर्षों के अवधि विस्तारण के उपरान्त (3+2+2=7 वर्षों के पश्चात्) भी अगले 02 वर्षों के लिए पुनः संविदा अवधि (भूतलक्षी प्रभाव सहित) को विस्तार करने की आवश्यकता महसूस होती है, तो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति अवधि के विस्तार हेतु अनुशंसा गठित करेगी। तदुपरान्त उसपर सरकार द्वारा निर्णय लिया जायेगा।"

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रवीण कुमार टोप्पो,
सरकार के सचिव।
